अटल पेंशन योजना

लाभ

- कम से कम 20 वर्ष तक निश्चित मासिक अंशदान देने पर 60 वर्ष की आयु पश्चात्
  (क) **मासिक पेंशन** (रु. 1,000/2,000/3,000/4,000/5,000 के 5 स्लैबों में) अभिदाता को (एवं उसकी मृत्यु की दशा में उसकी पत्नी/पति को) देय होगी, तथा
  (ख) अभिदाता व उसकी पत्नी/पति दोनों की मृत्यु के बाद नामिती को **कॉर्पस राशि**,

  निम्नानुसार देय होंगी :–

योजना में प्रवेश की आयु	अंशदान देने के कुल वर्ष	**मासिक पेंशन (रु.)**	मासिक अंशदान (रु.)*	नामिती को देय कॉर्पस राशि (रु.)*	**मासिक पेंशन (रु.)**	मासिक अंशदान (रु.)*	नामिती को देय कॉर्पस राशि (रु.)*
18	42	**1,000**	42	1,70,000	**5,000**	210	8,50,000
40	20	**1,000**	291	1,70,000	**5,000**	1,454	8,50,000

* अंशदान और नामिती को देय राशि प्रस्तावित योजना के पीएफआरडीए द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन है।

- **1.6.2015 से 31.12.2015 तक अभिदाता बनने पर भारत सरकार 5 वर्ष की अवधि के लिए 50 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1,000 प्रतिवर्ष) सह–अंशदान देगी**
- निर्धारित अवधि तक मासिक अंशदान की पूर्ति के पूर्व अभिदाता की मृत्यु होने की दशा में उसकी पत्नी/पति या तो शेष अवधि का अंशदान देकर निर्धारित मासिक पेंशन प्राप्त कर ले, या अभिदाता की मृत्यु तक सृजित कॉर्पस की राशि प्राप्त कर ले।

पात्रता

- 18 से 40 वर्ष आयु के बचत बैंक खाताधारी जिनके पास मोबाइल हो

भारत सरकार से सह–अंशदान प्राप्ति हेतु पात्रता

- आयकरदाता न हो
- ईपीएफ या अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थी न हो

स्वावलंबन योजना के अभिदाता पात्र अटल पेंशन योजना के अभिदाता होना

- स्वावलंबन योजना के पात्र अभिदाता अटल पेंशन योजना के अभिदाता हो जायेंगे।
- स्वावलंबन योजना में भी भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष के सह–अंशदान की व्यवस्था है परंतु निश्चित पेंशन का आश्वासन नहीं है।
- ऐसे अभिदाताओं को 5 वर्ष की शेष अवधि के लिए ही सह–अंशदान मिलेगा।

अभिदाता बनने की प्रक्रिया

- संबंधित बैंक शाखा के पास संलग्न फॉर्म जमा करना

अभिदाता का अपात्र होना

- 2 साल तक अंशदान न जमा करने पर अभिदाता का पेंशन खाता बंद कर दिया जायेगा।